न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—240/2017/223 (2017/00240)

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. तेजा पुत्र स्व0 छोगा पौत्र स्व0 बदना, जाति गूर्जर, नि0 ग्राम पृथ्वीराज खेड़ा, तह0 पीसांगन जिला अजमेर ।
2. सुख्खा पुत्र स्व0 छोगा पौत्र स्व0 बदना, जाति गुर्जर, नि0 पृथ्वीराजखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।
3. हरचंद पुत्र स्व0 माना, जाति गूर्जर, नि0 पृथ्वीराज खेड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर । (नाम तर्क)
4. रंगलाल पुत्र स्व0 माना, जाति गूर्जर, नि0 ग्राम पृथ्वीराजखेड़ा, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर । (नाम तर्क)
5. रतना पुत्र स्व0 माना, जाति गूर्जर, नि0 ग्राम पृथ्वीराजखेड़ा, तह0पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 28.12.2012 अंतर्गत वाद संख्या 185/2010 (72/2009).

उपस्थितः—

1. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0

निर्णय

दिनांकः— 18.12.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय एव डिक्री दिनांक 28.12.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 5 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गोला हाल ग्राम पृथ्वीराजखेड़ा, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर अवस्थित कृषि भूमि खसरा चौसाला नंबर 1391/2 जिसके वर्किग खसरा नंबर 1713 एवं इसके आधार खसरा नंबर 271 रकबा 1.09 बारानी—3 एवं चौसाला खसरा नंबर 1399 वर्किग खसरा नंबर 1716 आधार खसरा नंबर 267 रकबा 1.36 है0 चौसाला जमाबदी संवत् 2018 से 2021 के अनुसार खसरा नंबर 1391/2 एवं 1393 के खातेदार वादीगण के पिता छोगबा पुत्र बदना एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता माना वल्द घासी गूर्जर दर्ज थे जिसमें वादीगण

का आधा हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का आधा हिस्सा के खातेदार है क्योंकि संवत् 2018 से 2021 की जमाबंदी में छोगा व माना को गैर खातेदार दर्ज कर रखा है जो कि विधिनुसार स्वमेव खातेदार हो चुके थे परन्तु हाल राजस्व अभिलेख में बजाय वादीगण को खातेदार दर्ज करने के अवैधानिक तौर से सिवायचक दर्ज कर रखी है । इस कारण यह दावा हक खातेदारी की उद्घोषणा हेतु प्रस्तुत किया तथा यह भी कथन किया कि खसरा गिरदावरी संवत् 2027 से 2030 के कॉलम नंबर 16 में खसरा नंबर 1391/2 रकबा 13–1–10 प्रकरण संख्या 930/68 में वादीगण के पिता छोगा पुत्र बदना एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पिता माना पुत्र घासी दर्ज किया गया है । इसी प्रकार खसरा नंबर चौसाला 1393 रकबा 8'–8–0 प्रकरण संख्या 390/68 में भी छोगा व माना को काश्तकार दर्ज कर रखा है परन्तु पूर्वत चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 के इंद्राज के विपरीत बिना वादीगण को सूचित किये एवं सुनवाई का अवसर दिये गलत तौर से सिवायचक दर्ज कर रखी है । वाद में यह भी कथन किया कि चौसाला खसरा नंबर 1391/2 रकबा 16–3–00 में से मात्र खसरा नंबर 1712 रकबा 5–8–0 ही वादीगण की खातेदारी में दर्ज की गई है बाकी शेष भूमि अवैधानिक तौर से सिवायचक दर्ज कर दी है जिसका भू–प्रबंध विभाग को को कतई अधिकार नही था एवं वादीगण की खातेदारी मे ंदर्ज किया जाना चाहिये था । इस आशय की खातेदारी की उद्घोषणा हेतु दावा किया एवं यह भी कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 4 उक्त अवैध इंद्राज की आड़ में वादीगण को बार–बार विवादित भूमि से बेदखल करने तथा अन्य को आवंटन करने की धमकी देता है । इस हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद स्वीकार कर वर्तमान आधार खसरा नंबर 271 रकबा 1.09 है0 एवं वर्तमान आधार खसरा नंबर 267 रकबा 1.36 है0 ग्राम पृथ्वीराजखेड़ा, तह0 पीसांगन में वादीगण को आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने तथा प्रतिवादी राज0सरकार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने की डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । प्रत्यर्थी/वादीगण को राजस्व अधिकारीगण द्वारा पूर्व में ही अनुतोष प्रदान कर दिया गया है। अधी0न्याया0 द्वारा वाद गलत डिक्री किया गया है । वादीगण/प्रत्यर्थीगण अतिचारी है एवं अतिचारी को घोषणात्मक डिक्री के वाद मे ंप्रदान करना विधिविरूद्ध होने से अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 की पालना का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में कराई गई जांच में उभरकर आये तथ्यों पर राजकीय अभिभाषक की राय प्राप्त करने तथा चुनाव संबंधी कार्यो में व्यस्तता के कारण विधिवत् विवादित निर्णय व डिक्री की नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 9.5.2014 को अधी0न्याया0 में पेश किया जिस पर दिनांक 13.5.2014 को प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर विधिक राय लेकर अपील तैयार करवाकर पेश की है । विवादित आदेश व डिक्री दिनांक 28.12.2012 नियम विरूद्ध होने का तथ्य स्पष्ट होते ही

विधिवत् कार्यवाही की जाकर प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की दिनांक से अपील अंदर मियाद पेश की गई है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 एवं 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा ग्राम गोला, तह0 पीसांगन स्थित कृषि भूमि चौसाला खसरा नंबर 1391/2 एवं 1393 हाल खसरा नंबर 271 व 267 के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया गया कि अपीलाधीन भूमि चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 में रेस्पो0/वादीगण के पिता छोगा पुत्र बदना एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता माना पुत्र घासी गुर्जर के नाम दर्ज थी तथा खसरा गिरदावरी प्रदर्श–4 संवत् 2027 से 2029 में प्रकरण संख्या 930/68 में छोगा वल्द बदना व माना वल्द घासी को खातेदारी दिये जाने का स्पष्ट नोट अंकित है एवं खसरा गिरदावरी संवत् 2023 से 2026 एवं 2031 से 2034 में भी वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता है परन्तु भू–प्रबधं अधिकारी के द्वारा बिना किसी आदेश एवं अधिकार के वादीगण की खातेदारी भूमियों को गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि भू–प्रबंध विभाग को पूर्व जमाबंदी की प्रविष्टियों को वर्तमान भूप्रबंध के दौरान ज्यो की त्यों इंद्राज करनी चाहिये थी, बदस्तूर रखना चाहिये था परन्तु भू–प्रबधं विभाग द्वारा बिना अधिकारिता के पूर्व इंद्राज को परिवर्तित कर दिया गया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा वादीगण/प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन कर गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित की गई है । अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई भी मौखिक साक्ष्य पेश नहीं की गई है । यह भी कथन किया कि निर्णय की व डिक्री जानकारी होने के बावजूद अपील भारी विलंब से पेश की है तथा विलंब के कारण भी संतोषप्रद एवं उचित नही है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण प्रार्थना पत्र में अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम प्रकरण का तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । राजस्व अभिलेख चौसाला जमाबंदी संवत् 2018 से 2021 प्रदर्श–1 के अनुसार छोगा वल्द बदना व माना वल्द घासी कौम गुर्जर के नाम खसरा नंबर 1391/2 रकबा 16–3–0 एवं खसरा नंबर 1393 रकबा 8–0–0 गैर खातेदारी में दर्ज है । प्रदर्श–4 राजस्व अभिलेख जमाबंदी संवत् 2027 से 2030 के कॉलम संख्या 16 में दर्ज इंद्राज के अनुसार खसरा नंबर 1391/2 एवं खसरा नंबर 1393 राजस्व प्रकरण संख्या 930/68 में छोगा वल्द बदना व माना वल्द घासी को खातेदारी दिये जाने का इंद्राज है । उपरोक्त इंद्राज सरकार पक्ष द्वारा चाराजोही की जाकर निरस्त करवा दिये गये हो ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है । प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–4, प्रदर्श–5 एवं प्रदर्श–6 चौसाला खसरा गिरदावरी के अनुसार अपीलाधीन भूमियों पर वादीगण/प्रत्यर्थीगण का कब्जा व निरन्तर काश्त किया जाना प्रमाणित होता है । मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श–8

के अनुसार चौसाला खसरा नंबर 1391 रकबा 26–3–00 के वर्किंग खसरा नंबर 1712 रकबा 5–18–00, खसरा नंबर 1713 रकबा 6–10–00, खसरा नंबर 1365 रकबा 4–19–0, खसरा नंबर 1735 रकबा 8–16–0 एवं चौसाला खसरा नंबर 1393 रकबार 8–8–0 के वर्किंग खसरा नंबर 1716 रकबा 8–8–0 होना प्रमाणित है । प्रदर्श–9 मिलान क्षैत्रफल के अनुसार खसरा नंबर 1713 के नवीन खसरा नंब 271 एवं 1716 के नवीन खसरा नंबर 267 बनना प्रमाणित है । वादीगण/रेस्पो0 की चौसाला जमाबंदी में दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1391/2 रकबा 16–3–00 में से मात्र वर्किंग खसरा नंबर 1712 रकबा 5–8–0 खातेदारी में दर्ज होना प्रमाणित होता है तथा खसरा नंबर 1713 रकबा 6–15–00 एवं चौसाला जमाबंदी खसरा नंबर 1393 का वर्किंग खसरा नंबर 1716 रकबा 8–8–0 वर्किंग जमाबंदी प्रदर्श–14 तैयार करते समय सिवायचक दर्ज कर दिया गया जबकि पूर्व जमाबंदी एवं खातेदारी देने के उपरांत भी पूर्ण भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम आधा–आधा हिस्सा दर्ज करना चाहिये था परन्तु भू–प्रबंध अधिकारियों द्वारा पूर्व प्रविष्टि को बदस्तूर रखने के बजाय बिना किसी आधार व आदेश के गलत रूप से सरकारी सिवायचक दर्ज कर दी गई । अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश नहीं की गई है । अधी0न्याया0 द्वारा तनकी संख्या 1 से 4 का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में विधिसंगत रूप से किया जाकर वादीगण/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2012 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 18.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर